(11)

प्रकरण क्रमांक :— २६७ – III/78 (रिवीजन)

IV
६
3/9/02

जगतगुरू शंकराचार्य स्वामी श्री शान्तानंद सः
ब्रह्म निवास प्रयाग — प्रार्थी

विरुद्ध

शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती
परमहंसी गंगा, झोतेश्वर तहसील
गोटेगांव जिला नरसिंहपुर एवं अ०

— प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन वास्ते माननीय उच्चन्यायालय, जबलपुर
द्वारा पारित आदेश के पालन में प्रकरण
सुनवाही बाबत।

श्रीमान महोदय,

प्रतिप्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र निम्न प्रकार है

1- यह कि प्रार्थीगण का उक्त प्रकरण बहुत समय से लम्बित है माननीय उच्चन्यायालय जबलपुर द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 15/2/99 द्वारा उक्त प्रकरण को ओरिजनल नम्बर पर पुनः सुनवाही हेतु आदेशित किया है।

2- यह कि उक्त प्रकरण में पुनः सुनवाही हेतु नियत करने बाबत माननीय न्यायालय से प्रार्थना सादर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी एवं प्रार्थीगण नोटिस जारी करने का कष्ट करें।

1A-(1)

प्रतिप्रार्थीगण

स्वामी श्री स्वरूपानन्द स

द्वारा
अभिभाषक

संलग्न :—
(i) माननीय उच्चन्यायालय जबलपुर के आदेश की मूल सत्य प्रतिलिपि।
(ii) वकालत नामा —

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 255–दो/78 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–8–16	प्रकरण का अवलोकन किया । इस प्रकरण में पूर्व में दिनांक 8.4.83 को आदेश पारित किया जाकर यह प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया था और आवेदक द्वारा इसके पुर्नस्थापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र भी दिनांक 25.7.83 को निरस्त किया गया इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में विविध याचिका कमांक 1937/1985 प्रस्तुत किए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15–2–99 को आदेश पारित कर मूल निगरानी पुर्नस्थापित कर उसका गुणदोष पर निराकरण किये जाने के निर्देश दिये हैं । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में यह निगरानी लगभग 15 साल से भी अधिक समय से गुणदोष पर निराकरण हेतु लंबित है और उभयपक्षों के अभिभाषकों से अनेक बाद दस्तावेज मांगे जाने पर उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराये ये हैं ना ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उनका अभिलेख बार–बार स्मरण पत्र भेजने के उपरांत उपलब्ध कराया जा रहा है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है । दर्शित परिस्थिति में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । सदस्य	